

(बोर्ड के आदेश सं. 4116 बी ता. 12-8-11 में अनुमोदित)

संयुक्त मुख्य पृष्ठ और पत्रावरण

(देखें नियम 127 अमिलेकी 1911)

व्याख्यान इकाई का पत्रावरण विभाग



(रहता पन्ना)

२४५ वर्ष ०१

रजिस्टर सं.

स्टेट नॉ. 1005

परगना

मौजा सं.

अर्जाकार सेक्टर शावक का. २०११ का. १५

प्रतिपक्षी सूक दीप लाल कौण्डर का. १५

अधिनियम

२५-११-११/१०१

वर्ष २०११

के अधी

निर्णय की तारीख 10.02.18

अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख

क्रम संख्या	कागज का वर्णन	किस तारीख को फाइल किया गया	पन्नों की संख्या	स्टाम्पो का मूल्य	कागज की श्रेणी	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आदेशापरक	01	03	03		
2.	आवेदन पत्र (प्रतिपक्षी)	04	05	02		
3.	पुलिस ऑफिस प्रतिवेदन		06	01		
4.	नोटिश्न		07	01		
5.	गिरफ्तारी नोटिस	08	09	02		
3.	पत्रावरण कागज	10	12	03	60	
4.	हाजिरी	13	41	29		
		कुल	41		(इकाई कागज)	

न्यायालय, अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

अनुसूची 14 फॉर्म सं. 662

सेवक लावकॉ-शापकॉर्टेया
नाम
सूरीदीप-नावकॉर्टेया

आदेश पत्रक

(दिखें अभिलेख संख्या 1974 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं. _____	री	संख्या _____
जिला पलामू	28/10/17	सं. _____
केस का विवरण	धारा 107	CD30010

आदेश की प्रतिलिपि और प्रमाण

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की प्रतिलिपि और प्रमाण

3-10-17

जाना प्रामाणी रहियोगे
के अग्रजाधिकारी संख्या 3-10-17 के अग्रजाधिकारी
से संख्या 107 के अग्रजाधिकारी संख्या 107 के अग्रजाधिकारी

जो जमाना है, जमाना प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित है जो जो
अग्रजाधिकारी संख्या 107 के अग्रजाधिकारी

जमाना प्रमाणित संख्या 107 के अग्रजाधिकारी
दंडाधिकारी के अग्रजाधिकारी संख्या 107 के अग्रजाधिकारी
जो जो अग्रजाधिकारी संख्या 107 के अग्रजाधिकारी
प्रमाणित प्रमाणित संख्या 107 के अग्रजाधिकारी
प्रमाणित प्रमाणित संख्या 107 के अग्रजाधिकारी
का अग्रजाधिकारी संख्या 107 के अग्रजाधिकारी

लेखाधिकारी एवं संशोधित

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

10/10/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 1 उपचार/द्वितीय
पत्र के यथा सदस्य उपचार/आयु
को इ-कार्ड दिनांक 17/10/17 को रखा

12/10/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास प्र. पत्र के क्र. 2 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 31/10/17 को रखा

21/10/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 3 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 23/11/17 को रखा

9/11/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 4 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 16/11/17 को रखा

16/11/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 5 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 23/11/17 को रखा

23/11/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 6 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 30/11/17 को रखा

30/11/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 7 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 7/12/17 को रखा

7/12/17 यमुना नगर विधानसभा क्षेत्र में
विकास कार्य प्र. पत्र के क्र. 8 उपचार
कार्य से इ-कार्ड दिनांक 14/12/17 को रखा

W/A/0017
348
30/11/17

आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और फटाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिनांक तारीख दर्ज
1	2	3
<u>14.12.017</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 12/12/17 को 2007	
<u>21.12.017</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 28/12/17 को 2007	
<u>28.12.017</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 02/01/18 को 2007	
<u>02.01.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 09/01/18 को 2007	
<u>09.01.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 16/01/18 को 2007	
<u>16.01.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 23/01/18 को 2007	
<u>23.01.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 30/01/18 को 2007	
<u>30.01.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 06/02/18 को 2007	
<u>06.02.18</u>	गुणमठ बुधवार विद्यालय 08/02/18 को 2007	<p>गुणमठ बुधवार विद्यालय 30.01.18</p>

राष्ट्रीय लोक अदालत, डालटनगंज, शाखा छत्तरपुर (पलामू)।

धारा-107 दं0प्र0सं0
सत्र / 2017

मध्यस्थता सं0-
आदेश फलक
वाद संख्या-

284/07

सेवक साव कोठ

रूप कैथी

बनाम

सूर्य दीप साव कोठ

रूप कैथी

10 / 02 / 2018

न्यायालय-अनुमंडल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर।

आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभिलेख उपस्थापित, अवलोकन किया। उभय पक्ष लगातार अनुपस्थित। इससे प्रतीत होता है कि इस वाद में उभय पक्ष के बीच कोई विवाद नहीं है। शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त।

अतः इस वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।



सर्वस्य

सदस्य

श्रीमान थाना जमारी महोदय

हरिहरगंज थाना (पलायु) काश्मिर

विषय: मारपीट करने के सम्बन्ध में

महोदय

श्रीमान विवेक शर्मा जी के सुपुत्र साप

पिता हरिहर साप ग्राम - श्याव कटैया थाना कीलिया

जिला पलायु के निवासी है आज दिनांक 12/01/20

को सुलग 09 बजे लग में शेर की तरह हरिहर

के सामने अपने गाय के बाँधे थे की (1) सुलग

साप उम्र करीब 50 वर्ष पिता स्व शगभान लाल

(2) मनमोह साप उम्र करीब 22 वर्ष (3) रविग

साप उम्र करीब 20 वर्ष होना पिता सुलग

साप (4) उर्मिला देवी उम्र करीब 95 वर्ष पति

सुलग साप शरी ग्राम श्याव कटैया थाना

हरिहरगंज जिला पलायु गिलफ (आपे आ)

जाली गलौज करते हुए शेर तुंग रास्ता पर गाय के

बाँधे हुए है, आने जाने में स्थिर होता है हरिहर

साप को गाय तो बहुत दिन से मही पन्था रही है इसी

कारण पर लाठी लाटा फिट मुक्का दे उपरोक्त लोग

ने मारने लगे, मुझे तथा मेरे भाई को भी मारपीट

शोहरत साप को भी मार पीट करने लगे हल्ला

बोने पर अगल पगल के लोग होर का आकर विच

पचाप फिर अता श्रीमान से अनुरोध है की इस

सम्बन्ध में जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर ले क

क्षण सहान करे

आपका विश्वनाथ

सब अर्थात् जो
मुस्तफा सुलेम
जोपुत्र
जोपुत्र आपका
शरिफ उदौ
A.S.
Hachalgang
P.S

सका मे,

श्री मान शर्मा उभारी महोदय

हरिहर गंज जिला - (पलामू) (भारतवर्ष)

विषय :- आराब पीकर मारपीट करने के सम्बन्ध में,

महाशय: सविनय निवेदन है कि मैं सुर्यदीप साधु पिता -

2020/10/17
सुर्यदीप साधु
पिता

स्वर्गीय रामध्यान साधु ग्राम - खाण्डा कटेया, पो. कुरहवा
कटेया, थाना - हरिहर गंज जिला - पलामू का रहने वाला

हूँ। 12/9/17 के रात 8.30 बजे संजय साधु, सेवक

साधु, देवराज साधु, पिता - स्वर्गीय रामध्यान साधु ग्राम -
खाण्डा कटेया कोठडिहरा मेरे ओर मेरे परिवार के साथ

मारपीट - गाली गल्लोण करने लगे। रात्रि होने के कारण
हमलोग नही आ सके। पुनः कुछ अधिक कार्यालय
में उपस्थित हो रहा हूँ।

अतः श्री मान से अनुरोध है कि उक्त
विषय पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करने
की कृपा करें।

आपका किजवाली
सुर्यदीप साधु

रिपोर्टिंग का मा काम सं० - 74/2017 दिनांक - 15/09/17 आर 101-114-5-107 50/117 दिनांक - 15/09/17

<p>के पास T-1</p>	<p>विलीन पत्र का भाग एवं पत्रा -</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>
<p>सदस्य वर्ष देसा यसाय सुकेमा रिपोर्टिंग काक</p>	<p>1 सुप्रदीप सावत काके इंदर पिताका रसाकाका साव 2 संतोषसाव उमकाके इंदरवि पिता सुप्रदीप साव उसा-रसाप केमा माका धरिसांग मिला पलाक</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>	<p>15/09/17</p>

प्रतिवेद

C.I.NoN.F.I.R.No-27/17

देवा सं,
कमुसाड पदाधिकारी भवेदप,
कमुपुर कमुसाड पलाक

विषय:- दोषी पत्रों के विरुद्ध आर. - 107 50/117 का के अर्कापि अरवडि
करने के सावका सं।

भलाभाग,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्री कान्ठ को सादर सूचितकला
कैकि आरिडक सेवक साव पिता इमारत साव एवं सुप्रदीप साव पिता का
रसाकाका साव देसा उसा-रसाप केमाकाका धरिसांग मिला पलाक -
उपमा-कपमा आरिडक पत्राकाका सिद्धे विषयका जीय का आरकाका
प्रभारी भवेदप का सुके सोपा का

ओप के इस सं आरिडक के आरिडक पत्र के दिने नर
पडे पर लिखे आका प्रका पत्र है पुष्ट गाक मिला नी कमाके ओ विमि पत्र वरा
आवेकाले वाला राल पर नाय बोका है के अरु पर की राल पर नाय अर
को विने आवेकाले के विरुद्ध देसा के दा पर लाले माले के सु अर-प
मिने है / ओप के इस में विमि पत्र के पुष्ट गाक सिद्धे दो वहाके ओ सुके रसा
मिने आका ओर विसा के विषय का लाले माले कला प्रका पत्र का काम है।

warded to S.D.O. Chhatempur
of Chhatempur for

15/9/17
92

दिनांक - 12/09/17 को सम्मपक्रीष-08-2006 के अधीन राधा पर नाम बोधक से भाषा इन्हें पर श्रुति राधा परिवार के साथ सात्वती शौचिक करतें हुए बाद-पर इन्हें एसी अज्ञातकाल के लोभाभावात् अंगारा से वज्र मोंय के क्रमसे शरीरोंके अग्रसप्तम से एवं सुलासप्तमे प्रदेशों के शिकारी वधारी की पर पत्र के शोध विश्वास के संजय साव प्रति निष्ठ द्वारा व पत्र सात्वति शौचिक क्रमसे हैं अज्ञातकाल के लोभाभावात् एवं नैटपसिर्पितलका अशुद्धि/राधा पर नाम बोधक के लेकर एबीआर कानून में कंट्रोल किया गया है श्रम अलगावों के अलगाव है और अरि-राजा पर पुनः पत्र के लोभाभावात् वों वु दे है इणी कास्ता से दोनों पत्नी से निवृत्त है कभी भी दोनों पत्रों का सप्तम भाग के क्रमसे आशुतमन की शिकायत है

आदि शासित अशुभोच है कि दोनों पत्नी के विरुद्ध धारा-107-5050 एवं के अन्तर्गत-

बिसेधार्त्मक अस्वार्थिक प्रेषण करि जास

विशाल शिवा
 अलगाव क्रीष
 14/09/17
 अग्रसप्तम से
 शोधित भोजन

विशाल शिवा
 अलगाव क्रीष
 14/09/17

न्यायालय, अनुमंडल दंडाधिकारी, छतरपुर (पलामू)।

विधि संख्या 284 / 2017
अदालत घाटा 107 ई0 प0 स0

(1) सेकालाव के (2) सोहराईलाव दोनों के द्वारा घलाव लाकित खाप कोटिया
धाना - हरिहरगंज - पलामू

बनाम

(1) सूर्यदीपलाव के (2) रमेश रामधारालाव (3) मन्नाजीलाव के सूर्यदीपलाव लाकित
खाप कोटिया धाना हरिहरगंज - पलामू

धाना प्रगारी, हरिहरगंज के अप्राथमिकी संख्या 74/07 के आलोचना
से संतुष्ट हैं कि तमाम पक्षों के बीच शस्त्रा के लिए विवाद
को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा शांति भंग होने की संभावना है जो
मेरे अधिकार सीमा क्षेत्र के बाहर है।

अतः तमाम पक्षों को विरुद्ध घरा-घर संघर्षों की प्रक्रिया कारण की जाती है तथा उन्हें
आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 10/10/17 को मेरे न्यायालय में तयशुदा उपस्थित होकर
कारण पूछा जाखिल करें कि क्यों नहीं उन्हें एक जगह तक शांति बनाये रखने हेतु 10000 (दस
हजार) रुपये का बंधन निर्धारित करने का आदेश दिया जाए।

आज दिनांक 3/10/17 को मेरे दस्तावेज एवं न्यायालय की फुलर
के साथ नोटिस निर्गत किया गया।

आपका 280 दिनांक 3-10-017
धाना प्रगारी - हरिहरगंज
आदेश का तागिला कर तागिला प्रतियोगन



3/10/17
अनुमंडल दंडाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।

3/10/17
अनुमंडल दंडाधिकारी,
छतरपुर (पलामू)।